

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्य प्रदेश

क.9/नर्सिंग/सेल-3/14/635

दिनांक /7 /2014


प्रति,

संभागीय संयुक्त संचालक  
सागर एवं ग्वालियर संभाग  
मध्यप्रदेश

विषय :- आवंटित स्टाफ नर्स को नियुक्ति देने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि स्टाफ नर्स का केंडर राज्य स्तरीय है। व्यापम द्वारा आयोजित जी.एन.एस.टी एवं पी.एन.एस.टी. परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को प्रदेश में संचालित शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में 100 बिंदु राज्य स्तरीय रोस्टर के अनुरूप ही प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जाता है। आरक्षित वर्ग की छात्राएँ जिनका चयन मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग (ओपन कटेगरी) में किया जाता है, किन्तु उसे आरक्षित वर्ग में आने वाली जाति के आधार पर जाति का लाभ दिया जाता है।

प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों से जी.एन.एस.टी. प्रशिक्षण उत्तीर्ण छात्राओं को आपके अधीन जिले में आवंटन दिया गया है ये छात्रायें 3 वर्ष के लिये अनुबंधित हैं। अतः इन्हे नियुक्ति आदेश जारी करें, तदपश्चात् रिक्त पदों की जानकारी शीघ्र उपलब्ध करायें।


  
संयुक्त संचालक (नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्य प्रदेश

पू.क.9/नर्सिंग/सेल-3/14/636

भोपाल दिनांक /7 /2014

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सागर/ग्वालियर मध्यप्रदेश।
3. प्रथमरी एच.आई.एच. एवं सैनिकी प्राधिकरण की ओर स्वा. चिकित्सा की वेबसाइट पर आदेश प्रसारित करने के लिये।

  
संयुक्त संचालक (नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्य प्रदेश